ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14 Vol-5, No.-II,PP-1-3, YEAR-Dec.2016

महिलाओं के विरूद्ध अपराध की अवधारणा

❑ डॉ0 राकेश प्रताप शाही

महिलाएँ आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती हैं और ऐतिहासिक तथ्यों से ज्ञात होता है कि दुनिया के लगभग सभी समाजों में कमोवेश ये पुरुषों से पिछड़ी रही हैं तथा इनके साथ कई निर्योग्यताएँ–समस्याएँ जुड़ी रही हैं। स्त्री और पुरुष परिवार रुपी रथ के दो पहिए हैं, जिनमें से यदि एक पहिया टूट जाये तो रथ का चलना कठिन हो जाता है। नारी का काम परिवार को बनाना है और नर का काम उस परिवार का पालन–पोषण करना है। एक पुरुष के जीवन काल में तीन स्त्रियों से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होता है माता, पत्नी और पुत्री। ये तीनों ही स्त्रियाँ अपनी–अपनी भूमिका का कुशलता से निर्वाह करते हुए लोगों के आदर, प्रेम और वात्सल्य की हकदार होती हैं। स्त्रियों के सन्दर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाये जाते हैं। एक दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरुषों के समकक्ष सम्मान एवं प्रस्थिति दिलाने के पक्ष में है, तो दूसरा दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरुषों से निम्न दर्जे का मानता है।

महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, तिरस्कार एवं यातना उतना ही प्राचीन है, जितना पारिवारिक जीवन का इतिहास। महिलाएँ किसी भी अपराध की शिकार हो सकती हैं, परन्तु वे अपराध जिनकी केवल महिलाएँ ही शिकार हों या जो केवल महिलाओं के प्रति होते हैं, उन्हें महिलाओं के प्रति अपराध या महिलाओं के विरूद्ध अपराध (Crime Against Women) कहा जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

I. भारतीय दण्ड संहिता (IPC) के अन्तर्गत महिलाओं के विरूद्ध अपराध में 07 प्रकार के चयनित अपराध सम्मिलित किये गये हैं–

1. बलात्कार, धारा– 376।
2. अपहरण एवं भगा ले जाना, धारा– 363–373।
3. दहेज के कारण हत्या धारा– 302–304।
4. शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न धारा– 489।
5. शारीरिक छेड़छाड़ धारा– 354।
6. लैंगिक संतापन या चिढ़ाना धारा– 509।
7. लड़कियों का आयात धारा– 366।

II. स्थानीय एवं विशेष कानूनों (SLL) के अन्तर्गत मुख्य रुप से 13 सामाजिक विधानों को सम्मिलित किया है–

1. सती प्रथा की समाप्ति अधिनियम – 1829।
2. विधवा पुनर्विवाह अधिनियम – 1856।
3. बाल विवाह निषेध अधिनियम – 1929।
4. हिन्दू विवाह अधिनियम – 1955।
5. हिन्दू माइनोरिटी और गार्जियनशिप एक्ट – 1956।
6. दहेज प्रतिषेध अधिनियम – 1961।
7. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रिग्नेंसी एक्ट – 1971।
8. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम – 1986।

समाजशास्त्र विभाग, श्री भगवान महावीर पी0 जी0 कालेज, पावानगर (फाजिलनगर) कुशीनगर (उ0 प्र0)

9. इममोरल ट्रेफिकिंग (प्रिवेंशन) एक्ट – 1986।
10. द इनडिसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट – 1986।
11. प्री–नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक एक्ट – 1994।
12. प्रिवेंशन ऑफ वूमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट – 2005।
13. सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट – 2013।

संकुचित अर्थ में हिंसा (Violence) शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति को आहत करना तथा चोट पहुँचाना या शारीरिक रुप से घायल करना है। मेगार्गी ने हिंसा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि– ''ऐसा कार्य जो जानबूझकर, धमकाकर या बलपूर्वक किया गया हो, जिसके परिणामस्वरुप व्यक्ति को आघात पहुँचा हो व उसका विनाश हुआ हो, या उसके सम्मान को ठेस लगी हो।'' यदि हम 21वीं सदी में वर्ष 2001 से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की सांख्यकी पर दृष्टि डाले तो ज्ञात होता है कि प्रति वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है। जो सभ्य समाज के लिए चिन्ता का विषय है। डॉ0 राम आहूजा ने अपनी पुस्तक Social Problems in India में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों एवं हिंसा को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है–

I. आपराधिक हिंसा (Criminal Violence)

इस श्रेणी में उन अपराधों को रखा जाता है जो कि पुरुष द्वारा नारी के प्रति आपराधिक हिंसा की प्रवृत्ति के कारण किये जाते हैं। इस तरह के अपराध के प्रमुख उदाहरण हैं–

1. बलात्कार (Rape) भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376 के अन्तर्गत बलात्कार एक दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए बलात्कारी को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित करने का प्रावधान है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरूद्ध या सम्मति के बीना या मृत्यु का भय देकर मैथुन (सम्भोग) करता है तो, वह बलात्कार कहलाता है। राम आहूजा ने बलात्कार की शिकार 42 महिलाओं के अपने आनुभविक अध्ययन में निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं–

(i) बलात्कार पूर्णतः अजनवी लोगों द्वारा नहीं होता है, बल्कि आधे मामलों में महिलाएँ बलात्कारियों से परिचित होती हैं।

(ii) दस में से नौ बलात्कार परिस्थितिजन्य होते हैं।

(iii) प्रत्येक पाँच में से तीन बलात्कार एकाकी बलात्कार, पाँच में से एक

(iv) दस में से नौ बलात्कारों में शारीरिक हिंसा या क्रूरता का अभाव देखने को मिलता है। अर्थात् अधिकांश मामलों में केवल प्रलोभन अथवा मौखिक दबाव का प्रयोग किया जाता है।

(v) तीन–चौथाई बलात्कार, बलात्कार की शिकार महिलाओं के घरों में होते हैं।

(vi) बलात्कार में अधिकांशतः युवा वर्ग शामिल होता है।

2. अपहरण तथा व्यपहरण (Kidnapping and Abucation) महिलाओं के विरूद्ध होने वाली आपराधिक हिंसा का दूसरा प्रमुख प्रकार है। यद्यपि ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, परन्तु इन दोनों में अन्तर है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 के अनुसार अपहरण का अर्थ कानूनी संरक्षक की अनुमति के बिना 18 वर्ष से कम के लड़के एवं 16 वर्ष से कम की लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाना है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अनुसार व्यपहरण का अर्थ किसी नारी को जबरदस्ती अर्थात् बलपूर्वक धोखे

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

से अथवा कपटपूर्ण ढंग से अवैध यौन संबन्धों या किसी से उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह हेतु विवश करने के लिए उठा ले जाना है। राम आहूजा ने सितम्बर, 1982 से सितम्बर, 1984 तक हुए 41 अपहरणों एवं व्यपहरणों से पीड़ित महिलाओं का अध्ययन करके निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं–

(i) पाँच में से एक पीड़ित महिला पर आपराधिक रुप से किसी प्रकार का प्रहार नहीं किया गया। जबकि शेष चारों को प्रहारों का सामना करना पड़ा।

(ii) अपहरण एवं व्यपहरण के आधे से अधिक मामलों में महिलाएँ अविवाहित थीं।

(iii) अधिकतर अपहरणकर्त्ता पुरुष विवाहित थे।

(iv) अपहरण की शिकार महिलाओं में अधिकांश निम्न सामाजिक–आर्थिक वर्ग की थीं।

(v) अपहरण का सम्बन्ध यौन सम्बन्ध स्थापित करना, विवाह करना, बेचना तथा वेश्यावर्त्ति के लिए विवश करना था।

3. हत्या (Muder) भारत में जो हत्याएँ होती हैं, उनमें महिलाओं की हत्याओं का प्रतिशत बहुत कम है। राम आहूजा ने अनेक ऐसे प्रेरणादायी कारकों का उल्लेख किया है, जिससे नारी हत्या को बढ़ावा मिलता है। जैसे– अवैध सम्बन्ध, छोटे–मोटे लड़ाई–झगड़े, बदले की भावना, पुनर्विवाह की इच्छा, एक बार पुनः दहेज लेने की इच्छा, सम्पति के वास्तविक हकदार को रास्ते से हटाने की इच्छा आदि। राम आहूजा ने जिन 33 महिलाओं के हत्या के बारे में तथ्य एकत्रित किये, उनके निष्कर्ष इस प्रकार हैं–

(i) अधिकांश मामलो में हत्यारा और उसकी शिकार नारी एक ही परिवार के सदस्य थे।

(i) अधिकांश मामलों में हत्यारे युवा वर्ग के थे।

(iii) हत्या की शिकार अधिकांश महिलाएँ लम्बे समय से हत्यारों से परिचित एवं सम्बन्धित थीं।

(iv) हत्यारे अधिकांशतः निम्न व्यवसाय एवं निम्न आय समूह के थें।

(v) नारियों की हत्याओं के लिए छोटे–मोटे झगड़े, अवैध सम्बन्ध तथा लम्बी बीमारी मुख्य प्रेरक कारक है।

II. घरेलू हिंसा (Domestic Violence) आज भारतीय समाज में नारी के प्रति आपराधिक हिंसा ही नहीं बढ़ रही है, बल्कि घरेलू हिंसा भी दिनोदिन बढ़ती जा रही है। घरेलू हिंसा का तात्पर्य घर–गष्हस्थी में नारी का किया जाने वाला शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न है। कानूनी दृष्टि से नारी के प्रति यह घरेलू हिंसा एक अपराध है। घरेलू हिंसा में निम्न प्रकार के अपराधों को सूचीबद्ध किया जाता है–

1. दहेज हत्याएँ (Dowry Deaths) भारतीय समाज में नारी के लिए विवाह में दहेज की अनिवार्यता है। इसी कारण भारत में दहेज एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। दहेज के प्रभाव में भारत में हजारों स्त्रियों को प्रतिवर्ष जलाया जाता है। उन्हें सास–ससुर, देवर–जेठ, पति व ससुराल पक्ष वालों के द्वारा कई प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं। यद्यपि 1961 में भारत सरकार ने दहेज निरोधक अधिनियम बना दिया और इस अधिनियम के अर्न्तगत दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध माने जाते हैं। अधिकांश दहेज सम्बन्धी हत्याएँ लड़की की ससुराल में ही होती हैं। अतः ससुराल वाले हत्या सम्बन्धी प्रमाण मिटा देते हैं। उसे आत्महत्या या हादसा का रुप देते हैं और साक्ष्य के अभाव में दहेज हत्यारे अक्सर बच जाते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि दहेज सम्बन्धी हत्या एवं उत्पीड़न के मामले निम्न एवं उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम् वर्ग में अधिक होते हैं। दहेज की समस्या निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में अधिक पायी जाती है। यह माना जा

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

रहा था कि शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ दहेज से सम्बन्धित बुराइयों का अन्त होगा, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। दहेज की समस्या और विकराल रुप ध ाारण करती जा रही है। राम आहूजा ने अपने अनुभाविक अध्ययन में दहेज हत्याओं के विषय में निम्न निष्कार्ष प्रस्तुत किये हैं–

(i) उच्च वर्ग की नारियों की तुलना में मध्यम वर्ग की नारियों में दहेज हत्याएँ अधिक होती है।

(i) अधिकांश दहेज हत्याओं की शिकार नारियाँ 21–24 वर्ष की आयु वर्ग की होती हैं।

(iii) दहेज हत्या एक उच्च जाति प्रघटना है न कि निम्न जाति की समस्या।

(iv) दहेज हत्या से पहले नव–विवाहित नारियों का अनेक प्रकार से उत्पीड़न एवं शोषण किया जाता है।

(v) दहेज हत्या के लिए पर्यावरणीय दबाव, सामाजिक तनाव, पति की स्वेच्छाचारिता, व्यक्तित्व में असामंजस्य आदि सामाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक कारक उत्तरदायी माने जाते हैं।

(vi) नव–वधू की शिक्षा व उसकी दहेज हत्या में कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता है।

(vii) नव–वधू को जिन्दा जला देने के मामलों में परिवार की संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2. पत्नी को पीटना (Wife Battering) विवाह के सन्दर्भ में नारियों के प्रति हिंसा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है कि उसका परिवार उसे प्यार करेगा और संरक्षण देगा, किन्तु वही परिवार उसे पीटना शुरु कर देता है। भारत में पत्नी को गृह लक्ष्मी की संज्ञा दी गयी है, किन्तु इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने और मारने–पीटने की घटनाएँ बढ़ रही हैं। जबकि यह कृत्य एक कानूनी अपराध है। नारी की यह मजबूरी है कि उसके साथ हिंसा का व्यवहार होने पर भी वह आर्थिक व सामाजिक कारणों, बच्चों के प्रति अपने दायित्वों एवं सामाजिक निन्दा आदि कारणें से सबकुछ शान्त भाव से सहन कर लेती है। वह इसे घरेलू मामला, पति–पत्नी का निजी मामला मानकर कोई कार्यवाही नहीं करती है। इसे वह अपना भाग्य मानती है, पूर्व जन्मों का फल मान लेती है। समाज के लोग भी उसे सहिष्णु होने का उपदेश देते हैं। उससे कहा जाता है कि पिता के घर से डोली में बैठकर आयी थी, अब तो यहाँ से तुम्हारी अर्थी ही उठेगी और वह बेचारी जहर का घूंट पीकर जिन्दा लाश की तरह घर में बनी रहती है। पत्नी को पीटने के करणों में यौन सम्बन्धों में असमायोजन, भावनात्मक गड़बड़ी, पति का अहंकार या हीन भावना, पति का मद्यपान व्यसनी होना आदि प्रमुख हैं। शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अशिक्षित स्त्रियों को पीटने की घटना ज्यादे देखने को मिलती हैं। राम आहूजा ने 60 ऐसी नारियों से जो तथ्य एकत्रित किये हैं, उनका निष्कर्ष इस प्रकार है–

(i) 25 वर्ष से कम की पत्नियाँ पति द्वारा पीटाई की अधिक शिकार होती हैं।

(i) जो पत्नियाँ पति की आयु से पाँच वर्ष या उससे छोटी होती हैं तो, उनमें मार–पीट की घटना अधिक देखने को मिलती है।

(iii) परिवार का आकार व रचना का पत्नी को पीटने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(iv) पति का बचपन में हिंसा के प्रति प्रकाशकरण पत्नी को पीटने में एक प्रमुख कारण है।

3. विधवाओं पर अत्याचार (Atrucities on Widows) नारी के लिए वैधव्य सबसे बड़ा अभिशाप है। उसका सबसे बड़ा सौभाग्य सुहागिन बने रहना है। सूनी माँग मृत्यु से भी ज्यादा भयानक है। हिन्दुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना गया है और यह पति–पत्नी का जन्म–जन्मान्तर

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

का बंधन है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। अतः पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सामाजिक दृष्टि से दूसरा विवाह करने की छूट नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद से ही विधवा स्त्री के दुःख प्रारम्भ हो जाते हैं। युवा व प्रौढ़ विधवाओं की समस्याएँ गम्भीर होती हैं। उनके साथ अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किऐ जाते हैं। उन्हें मारा–पीटा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, व्यभिचार एवं लैंगिक दुर्व्यवहार किया जाता है, पति की सम्पत्ति से बंचित किया जाता है, आदि। विधवाओं के उत्पीड़न के तीन कारण हैं। शक्ति, सम्पत्ति व कामवासना की पूर्ति। शिक्षा, आयु व वर्ग की सदस्यता का भी विधवा उत्पीड़न से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस दृष्टि से बृद्ध विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं तथा उच्च वर्ग की विधवाओं को अधिक उत्पीड़ित किया जाता है। विधवा स्त्री की निष्क्रियता व कायरता भी उसके उत्पीड़न का प्रमुख कारण है। राम आहूजा ने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला है कि–

(i) मध्यम आयु वर्ग की विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं का अधिक अपमान व शोषण होता है।

(ii) अधिकतर विधवाओं को पति के व्यापार, बैंक खातों, जीवन बीमा पालिसियों आदि का बहुत कम ज्ञान होता है, जिसके कारण वे पति पक्ष के सदस्यों के धोखे में आ जाती हैं और उनका शोषण प्रारम्भ हो जाता है।

(iii) शोषण के तीन प्रेरकों (शक्ति, सम्पत्ति व यौन शोषण) में मध्यम वर्ग की विधवाओं के प्रति हिंसा हेतु सम्पत्ति अधिक महत्वपूर्ण है, निम्न वर्ग में यौन शोषण अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि शक्ति दोनों मध्यम व निम्न वर्ग की विधवाओं के प्रति हिंसा में अधिक महत्वपूर्ण है।

(iv) यद्यपि सास का स्वेच्छाचारी व्यक्तित्व विधवाओं के शोषण में प्रमुख कारण है, फिर भी विधवाओं की निष्क्रियता व बुजदिली उनके शोषण में अधिक महत्वपूर्ण हैं।

(v) आयु, शिक्षा तथा वर्ग विधवाओं के शोषण से महत्वपूर्ण रुप से सहसम्बन्धित हैं, किन्तु परिवार की रचना व आकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

III. सामाजिक हिंसा (Social Violence) राम आहूजा के अनुसार नारी के प्रति हिंसा की तीसरी प्रमुख श्रेणी सामाजिक हिंसा है, जिसे पत्नी/बहू को भ्रूण हत्या के लिए विवश करने, छेड़छाड़, युवा विधवाओं को सती होने के लिए विवश करने, नारियों को सम्पत्ति में हिस्सा न देने, बहू को अधिक दहेज लाने के लिए उत्पीड़ित करने के रुप में देखा जा सकता है। सामाजिक हिंसा को यौन शोषण व यौन उत्पीड़न के रुप में भी देखा जा सकता है।

1. नारी हत्या तथा भ्रूण हत्या–भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है तथा यहाँ लड़की की तुलना में लड़के को अधिक महत्व दिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी पुत्र को महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए कुछ परिवारों में लड़कियों की संख्या अधिक होने पर लड़की के पैदा होते ही उसे मार दिया जाता है। नारी हत्या कई प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुपों में देखने को मिलती है। माता के गर्भ में नारी शिशु को मार देना या जन्म के बाद मार देना या दहेज के लोभ में बहू को मार देना और नारी का उत्पीड़न करना या ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देना जिनमें नारी आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाये। ये सब नारी हत्या के प्रत्यक्ष रुप हैं। नारी हत्या का अप्रत्यक्ष रुप वह है जिसमें नारी शिशु के पालन–पोषण एवं चिकित्सा की ओर उचित ध्यान नहीं देने से वे मौत की शिकार हो जाती हैं। आज नारी के गर्भ की

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

जाँच कर यह पता लगाया जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। इस वैज्ञानिक ज्ञान का लोगों ने दुरुपयोग करना प्रारम्भ कर दिया है। यदि गर्भ में लड़की है तो उसका गर्भपात करा दिया जाता है,जो भ्रूण हत्या है। लड़के की चाह में लड़की की हत्या मानवता के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है।

2. छेड़छाड़–नारी की दैहिक समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या उनका छेड़छाड़ का शिकार होना है। बसों में, बाजारों में, स्कूलों में और कॉलेजों के प्रांगणों में वे पुरुष द्वारा छेड़छाड़ का शिकार होती हैं। उन पर आवाज कसना, उन्हें स्पर्श करने की चेष्टा करना, कुत्सित इशारा करना आदि आमबात है। इस प्रकार की गुण्डागर्दी बड़े शहरों और विशेष रुप से उत्तरी भारत में अधिक पायी जाती है। दिल्ली, कानपुर, आगरा, बनारस, मुंबई और अन्य बड़े शहरों में छेड़छाड़ की घटनाएँ ज्यादा देखने को मिलती हैं। नारी के प्रति छेड़छाड़ की घटनाओं को सिनेमा एवं टी0 बी0 सीरियलों से बढ़ावा मिला है, क्योंकि इनमें प्रदर्शित अच्छाई से नहीं वरन् बुराई से ही लोग अधिक प्रभावित होते हैं।

3. वेश्यावृत्ति– महात्मा गाँधी ने कहा था कि–''वेश्यावृत्ति मानव समाज के लिए कलंक है और इसके बारे में सोचने पर मुझे शर्म आती है।'' भारतीय साहित्य–वेदों पुराणों, शास्त्रों, रामायण तथा महाभारत का अध्ययन करने पर वेश्याओं की उपस्थिति का आभास होता है। आम्रपाली, चित्रलेखा, मदनमाला, माधवी, दिव्या, चन्द्रसेना, बसंत चन्द्रसेना, देवदत्त, पिंगला, बासबदन्ता आदि कुछ इतिहास प्रसिद्ध वेश्याएँ हुई, जिनके कारण भीषण युद्ध हुए तथा नर–संहार देखने को मिला।

वेश्यावृत्ति अवैध यौन सम्बन्ध है जो प्रेम की भावना से रहित होकर आर्थिक लाभ के लिए अनेक व्यक्तियों से किया जाता है। वर्तमान समय में बड़े–बड़े शहरों, शराबघरों, होटलों, कैबरे स्थलों, नाच घरों तथा क्लबों में शिक्षित और उच्च घरों की लड़कियाँ भी इस व्यवसाय में लगी होती हैं। होटलों के मालिक, टैक्सी ड्राइवर, कैबरे नृत्य के संयोजक एवं अन्य दलाल अपना कमीशन लेकर उस कार्य में सहयोग देते हैं। गरीबी, विलासी जीवन व्यतीत करने की लालसा, स्त्री की आर्थिक पराश्रितता, पारिवारिक परिस्थितियाँ, विवाह–विच्छेदन, विधवा विवाह पर रोक, दहेज प्रथा, दुःखी वैवाहिक जीवन, अनैतिक व्यापार, अवैध सम्बन्ध, असामान्य कामुकता एवं धार्मिक कारण आदि से महिलाओं को पथभ्रष्ट कर पायल के स्थान पर घुँघरु बाँधने को विवश किया जाता है। वेश्यावृत्ति के कारण नारी जगत का अपमान होता है। वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन में वृद्धि होती है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध या हिंसा के लिए निम्न कारणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है–

प्राचीन कारक

(i) विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण।
(ii) संघर्षों का युद्ध।
(iii) शिक्षा में कमी।
(iv) स्त्रियों के स्वतन्त्र अस्तित्व की समाप्ति

वर्तमान कारक

(i) शिक्षा में कमी।
(ii) अन्धविश्वास।
(iii) संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन।
(iv) पाश्चात्य संस्कृति का अन्धानुकरण।
(v) स्त्रियों को प्राप्त सामाजिक सहभागिकता।
(vi) स्त्रियों के प्रति पुरुषों का व्यवहार।
(vii) स्त्रियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की प्रकृति और उनका विस्तार।

(viii) स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता।
(ix) सामाजिक तनाव।
(x) पारिवारिक तनाव।
(xi) पुरुष प्रधान समाज की विवशता।
(xii) लिंग–भेद की असमानता।

''मनुष्य ने आकाश में उड़ना सीख लिया है। वह समुद्रों की गहराई में तैरने भी लगा है लेकिन अभी धरती पर ठीक से चलना नहीं सीख पाया है।'' ये सारी उपलब्धियाँ मानवता की सच्ची समृद्धि नहीं हैं। समूचे संसार में अपार विरोधाभास व्याप्त है। दुनिया की आधी आबादी अपमान और उत्पीड़न की शिकार है और सिसक रही है। आज सत्ता और वैभव की क्रूर प्रतिद्वंदिता का दौर है। अधिकारों का नग्न तांडव हो रहा है युद्ध, आतंकवाद, शोषण और अत्याचारों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इन सबको देखकर भौतिक समृद्धि की चमक–दमक फिकी पड़ना स्वाभाविक है। वैचारिक धरातल पर मनुष्य ने अभी दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखा है। सारे संसार की बात तो दूर, अपने ही बीच, अपनी कही जाने वाली आधी आबादी पुरुष समुदाय की सत्ता की मनमानियों से वेचैन एवं विवश है। इस विडम्बना को देखकर क्या यह कहा जा सकता है कि मनुष्य ने प्रगति की है?

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. Ahuja, Mukesh, Widows, New Age Publishers, Delhi, 1996.
2. Ahuja, Ram, Crime against Women, Rawat Publications, Jaipur, 1987.
3. Ahuja, Ram, Violence Against Women, Rawat Publications, Jaipur 1998.
4. Borland, Marie (ed.),Violence in the Family, Manchester University of Press, Manchester, 1976.
5. Curtis, Lynn A., Criminal Violence, Luxington Books, Kentucky, 1974.
6. Leonard, E.B., Women, Crime and Society, Longman, New York, 1982.
7. Wolfgang, M.E., "Violence in the Family" in Kutash et al.,Persectives in Murder and Aggession, John Wiley, New York, 1978.
8. डॉ0 आहूजा, राम : भारतीय सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2000।
9. डॉ0 महाजन, धर्मवीर : अपराधशास्त्र, विवके प्रकाशन दिल्ली 2006।
10. प्रो0 सिंह, श्यामधर : अपराधशास्त्र के सिद्धन्त, सपना अशोक प्रकाशन, वाराणसी 2008।
11. डॉ0 राय, एस0 चन्द्रकुमार : विवेचनात्मक अपराधशास्त्र अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 2009।
12. डॉ0 चौहान, एम0 एस0 : अपराधशास्त्र एवं आपराधिक प्रशासन,सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद 1998।
13. डॉ0 परांजये, ना0 वि0 : अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र,सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद 2004।
14. डॉ0 चन्द्रा, व्रजेश : अपराधशास्त्र,दण्डशास्त्र तथा डत्पीड़नशास्त्र, आर0 एल0 साइंटफिक पब्लिकेशन्स, आगरा 2004।
15. पाण्डेय, तेजस्कर : भारत में सामाजिक समस्याएँ एम0 सी0 ग्रो हिल इण्डिया, नई दिल्ली 2016
16. शर्मा, जी0 एल0 : सामाजिक मुद्दे रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2015।